<u>वेब प्रचार</u>

फा. सं. डी-30017/11/2018-19/पुस्तकालय 9036862
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(पुस्तकालय)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 16.06.2025

सेवा में,
सभी संबंधित

विषय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पुस्तकालय के पुराने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के निपटान के लिए कोटेशन।

इस मंत्रालय के पुस्तकालय के पुराने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के निपटान के लिए इच्छुक और पात्र फर्मों से निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-1) में मुहरबंद कोटेशन/बोली नीचे दी गई समय सूची के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय: **20.06.2025** को अपराह्न **3:00** बजे तक

बोलियां खोलने की तिथि और समय: **23.06.2025** को सांय **4:30** बजे तक

बोली खोलने का स्थल: पुस्तकालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

1. <u>मदों का ब्यौरा</u> - पुराने समाचार पत्र और पत्रिकाएँ

इच्छुक बोलीदाता इन मदों को देखने के लिए 17.06.2025 से 19.06.2025 तक कार्यालय समय के दौरान मंत्रालय के पुस्तकालय में आ सकते हैं। सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में इन मदों को पुस्तकालय से प्राप्त करें और उन्हें तौलने (केवल इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा) की व्यवस्था करें और बोली की स्वीकृति के पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर इन मदों को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करें।

2. <u>कोटेशन/बोली प्रस्तुत करना</u>

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए प्रति किलोग्राम के आधार पर दरें **अनुलग्नक - 1** के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार पृथक रूप से बताई जानी चाहिए। अन्य

प्रारूप में दिए गए कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. बोली जमा राशि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) को छोड़कर 5000/- (केवल पाँच हज़ार रुपये) की बोली जमा राशि "भुगतान और लेखा अधिकारी (सचिवालय), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के पक्ष में आहरित किसी भी वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो नई दिल्ली में देय हो, बोली के प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बोली जमा राशि के बिना बोलियों या अन्य रूपों में बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाताओं की बोली जमा राशि मंत्रालय में कार्य निष्पादन जमा राशि के रूप में रखी जाएगी और सरकारी खाते में जमा की जाएगी। असफल बोलीदाता के मामले में बोली जमा राशि सफल बोली दाता के साथ समझौता करने के एक सप्ताह के भीतर असफल बोलीदाताओं को बोली जमा राशि वापस कर दी जाएगी। संविदा के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सफल बोलीदाता की कार्य निष्पादन जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

4. पात्रता मानदंड

(i) इस कार्य के लिए फर्म का पंजीकरण सरकारी प्राधिकरण में होना चाहिए तथा जीएसटी पंजीकृत भी होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र बोलियों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(ii) एजेंसी के पास सरकारी कार्यालयों में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सरकारी कार्यालय/कार्यालयों से प्राप्त आदेशों की प्रतियां बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(iii) फर्म का दिल्ली/एनसीआर में पूर्णतः संचलनात्मक सहायता कार्यालय होना चाहिए।

5. चयन प्रक्रिया:

कार्यालय की निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा कोटेशन/बोली की जांच की जाएगी और;

(i) दो या अधिक फर्मों के समान दर के मामले में, इस क्षेत्र में अधिक अनुभव रखने वाली फर्म को वरीयता दी जाएगी;

(ii) स्वीकार्य बोलियों वाले पात्र बोलीदाता में से उच्चतम दर के आधार पर चयन किया जाएगा।

6. अन्य निबंधन और शर्तें

(i) बोलीदाता द्वारा कोटेशन फॉर्म (अनुलग्नक-1) को सभी प्रकार से भरकर इस निविदा दस्तावेज के साथ जमा करना चाहिए तथा इस दस्तावेज की निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(ii) कोटेशन फॉर्म को सीलबंद लिफाफे में जमा करना चाहिए। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए कि - **"आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पुस्तकालय के पुराने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के निपटान के लिए कोटेशन, जो 23.06.2025 से पहले न खोला जाएं।"**। बोली लगाने वाली फर्म का नाम और पता भी लिफाफे पर लिखा होना चाहिए।

(iii) बोली को सीलबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट द्वारा नाम सहित निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:-

(संजय रावत)
अवर सचिव (प्रशासन बी)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
201 - सी विंग, निर्माण भवन
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110011
या

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पुस्तकालय प्रभारी को बाय हैंड सौंप कर उनसे विधिवत पावती भी प्राप्त की जा सकती है।

(iv) बोलियां इस निविदा दस्तावेज में दिए गए समय-सारिणी के अनुसार बोलीदाताओं/बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों (यदि उपलब्ध हों) की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

(v) कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। तथापि, यदि अंतिम तिथि को अवकाश हो, तो कोटेशन अगले कार्य दिवस को उसी समय प्रस्तुत किया जा सकता है तथा कोटेशन निर्धारित समय पर खोला जा सकता है।

(vi) विलम्ब से प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(vii) कोटेशन खुलने के बाद दरों में संशोधन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा अनुमोदित/स्वीकृत दरें संविदा अवधि पूरी होने तक वैध रहेंगी।

(viii) इस मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी कोटेशन को स्वीकार करने का अधिकार है। सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृत उच्चतम दरों पर एक से अधिक बोलीदाताओं को कार्य सौंपने का भी अधिकार सुरक्षित है।

(ix) बोलीदाताओं को अपने लेटर हेड पर फर्म का विवरण देना होगा, जिसमें निपटान प्रक्रिया से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर पूछताछ करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम, दूरभाष नं. का उल्लेख होगा।

(x) इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीनों से वजन करने के बाद, सभी मदों को बोरियों में पैक किया जाना चाहिए। वजन करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चयनित बोलीदाता से अपेक्षा कि जाती है कि वह बोलीदाता के कोटेशन के अनुसार प्राप्त राशि को "भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या किसी अन्य स्वीकार्य फॉर्म में 3 दिनों के भीतर मंत्रालय में जमा करे। राशि प्राप्त होने के बाद, बोलीदाता को पुस्तकालय से निपटाए गए पुराने समाचार पत्र/पत्रिकाएँ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

(xi) सफल बोलीदाता को डिस्पोजेबल आइटम को इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित समयावधि के भीतर "जहां है वैसा है" के आधार पर इस संविदा दस्तावेज की वैधता के दौरान छमाही आधार पर एकत्रित करना होगा।

(xii) संविदा में विनिर्दिष्ट अन्यथा के सिवाय तथा सरकार द्वारा उसे समय-समय पर लागू संहिता और नियमों के अधीन सौंपी गई शक्तियों के अधीन रहते हुए, मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम, निर्णायक होगा तथा इसमें उल्लिखित विनिर्देशों और अनुदेशों के अर्थ तथा कार्य की गुणवत्ता या कार्य कुशलता से संबंधित सभी प्रश्नों पर संविदा के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(xiii) सफल बोलीदाता द्वारा कोटेशन दर को स्वीकार करने के आधार पर यह मंत्रालय इस निविदा दस्तावेज के अनुसार दोनों पक्षों के बीच एक बाध्यकारी करार करेगा और यह करार एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। तथापि, इस कार्यालय के विवेक पर समान दर और निबंधन और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए इस संविदा को बढ़ाया जा सकता है।

(xiv) संविदा की वैधता के दौरान सफल बोलीदाता के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के मामले में, कार्य निष्पादन जमा राशि जब्त की जा सकती है और फर्म को मंत्रालय द्वारा काली सूची में भी डाला जा सकता है।

(संजय रावत)
अवर सचिव, (प्रशासन-बी)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
कक्ष 201, 'सी' विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
टेलीफोन-23062654, ईमेल: suchit.goyal@nic.in

अनुलग्नक -1

संख्या डी-30017/11/2018-19/पुस्तकालय
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(पुस्तकालय)

पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का निपटान (संविदा की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए)
बोलीदाता के बारे में मूलभूत जानकारी (फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत की जाएं)

फर्म का नाम:
फर्म का पता (प्रमाण संलग्न करें):
फर्म का पैन नं./ टीएएन नं. (प्रमाण संलग्न करें):
फर्म का जीएसटी नंबर (प्रमाण संलग्न करें):
कार्य अनुभव (प्रमाण संलग्न करें):
कोई अन्य जानकारी जो बोलीदाता प्रस्तुत करना चाहेगा:
बोली जमा राशि:
डिमांड ड्राफ्ट का विवरण:
बैंक का नामः...द्वारा जारी ....रु. का डिमांड ड्राफ्ट सं..............................

कोटेशन/बोली

मैं उल्लिखित दरों पर संविदा की वैधता के दौरान पुस्तकालय के पुराने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को ले जाने के लिए सहमत हूं:

मद	प्रति किलोग्राम दर से मूल्य (रु/किग्रा)
सभी प्रकार के समाचार पत्र	
पत्रिका	

मैं यह भी वचन देता हूँ कि निविदा दस्तावेज संख्या डी-30017/11/2018-पुस्तकालय दिनांकित................ की सभी निबंधन और शर्तें मेरी फर्म को स्वीकार्य हैं।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)
नाम और पदनाम
फर्म की मुहर
दिनांक....................